मदन बनाम मोहन मु.नं. 103/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
11/12/24	पत्रावली पेश। अपील अपीलाट डिक्री की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 103/2022

1 मदन पुत्र हेमा उम्र 55 साल जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। मो. नं. 9783774500

अपीलांट

बनाम

1 मोहन पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (जिसने गलत रूप से आपने आपको मोहन दत्तक पुत्र नोपा जाति जाट निवासी ग्राम बासनी अंकित करते हुए दावा पेश किया)

2 रतुड़ी पत्नी हेमा

3 गणेश पुत्र नाराणा

4 सोना देवी पत्नी सुलतान सिह

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

5 पटवारी हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

6 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ सीकर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आरएएस नम्बर मुकदमा राजस्व वाद 31/2017 उनवानी मोहन बनाम मदन आदि दिनांकित 24.01.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 97 / 2022

1 मदन पुत्र हेमा उम्र 55 साल जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। मो. नं. 9783774500

अपीलांट

बनाम

1 मोहन पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (जिसने गलत रूप से आपने आपको मोहन दत्तक पुत्र नोपा जाति जाट निवासी ग्राम बासनी अंकित करते हुए दावा पेश किया)

2 रतुड़ी पत्नी हेमा

3 गणेश पुत्र नाराणा

4 सोना देवी पत्नी सुलतान सिह

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

5 पटवारी हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

6 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आरएएस
दावा संख्या 31 / 2017 उनवानी मोहन बनाम मदन
आदि दिनांकित 28.07.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 11.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 31/2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2018 व 28.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने उद्घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम बासनी पटवारी सिंगोदड़ा की भूमि खसरा नम्बर 70 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन प्राथमिक निर्णय दिनांक 24.01.2018 से खसरा नम्बर 70 के संदर्भ में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इससे व्यथित होकर प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील संख्या 103/2022 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.06.2022 खसरा नम्बर 199 के प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 97/2022 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ सीकर के समक्ष रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते

संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन वाद संख्या 31/2017 उनवानी मोहन बनाम मदन आदि कतई निराधार आधारों तपर प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री कतई विधि विरूद्ध तरीके से पारित कर दी गई। जिसकी नाराजगी में अपीलान्ट द्वारा आज ही अलग से अपील प्रस्तुत कर दी गई है। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 24.01.2018 की पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से रिकार्ड एवं मौके के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तीन शर्तो के साथ स्वयं द्वारा तैयार करके भिजवाये जाने निमित आदेशित किये जाने के पश्चात स्वयं तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा मौके पर जाकर कोई विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया बल्कि भू–अभिलेख निरीक्षक रहनावा द्वारा अवैध रूप से तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्ड के विपरित जाकर सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 28.07.2022 पारित की गई है उसे तैयार किये जाने से पूर्व न तो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में पारित दिशा निर्देशों की पालना की गई है तथा ना ही बंटवारा संबंधी विधि एवं नियमों की कोई पालना ही की गई है। जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है न तो उसे तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचन व सुनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही किसी तरह की आपत्ति प्रस्तुति का अवसर ही प्रदत्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है उसमें सहखातेदारान को मिलने वाले हिस्से किस कानूनी प्रावधान के तहत कम ज्यादा भूमि के हिसाब से तय किये गये कोई कारण एवं आधार नहीं है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर नोपाराम के दत्तक पुत्र होने के आधार पर मोहन द्वारा खसरा नम्बर 70 में 1/3 हिस्से की उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई दिनांक 24.01.2018 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विधि सम्मत निर्णय पारित किये है। इनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादी द्वारा उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर नोपाराम के दत्तक पुत्र होने के आधार पर मोहन द्वारा खसरा नम्बर 70 में 1/3 हिस्से की उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। विभाजन के संदर्भ में वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्राथमिक डिक्री विभाजन की जारी की है उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में कोई निर्णय ही पारित नहीं किया है। इस प्राथमिक डिक्री के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। प्रथम दृष्टया विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री अनुतोष के विपरित पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक व अंतिम डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31. 12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर